



विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 152, आरबीजे 2016 पेज 245, आरएलडब्ल्यू 2006 पार्ट I पेज 71, आरबीजे 2014 पार्ट II पेज 313 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त खातेदारी पैतृक भूमि है। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है तथा सभी पक्षकार अपने-अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का स्ट्रेन्जर परचेजर है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब तक संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी अजनबी केता को वादग्रस्त भूमि पर प्रवेश का अधिकार नहीं है। यदि वादग्रस्त भूमि के विभाजन से पूर्व किसी हिस्सा विशेष पर ट्यूबवैल का निर्माण किया जाता है तो रेस्पोजेन्ट को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य सामने आने पर वादग्रस्त भूमि पर सह खातेदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु आगामी दिनांक तक के लिए आदेश पारित किये गये हैं। यदि अपीलांट उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो प्रकरण में नियत आगामी दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आकर अपना मत व्यक्त कर सकते थे, परन्तु अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने के उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अन्य सहखातेदारों द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में एक आदेश के विरुद्ध दो न्यायालयों में चाराजोई नहीं कर सकते हैं। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश एक अंतरिम आदेश की परिभाषा में आता है। कानूनन अंतरिम आदेश की अपील के प्रावधान निहित नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त पैतृक भूमि होने से रेस्पोजेन्टस के अधिकार उक्त भूमि में निहित हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोजेन्ट के पक्ष में साबित है। लिहाजा अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2014 पेज 204, आरबीजे 2015 पेज 719, आरबीजे 2018 पेज 706, आएलडब्ल्यू 2004 पेज 541, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 83 व आरएलडब्ल्यू 2007 पार्ट I पेज 22 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।



राजस्थान अपील अधिकारी  
जबलपुर

विद्वान् अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19-06-2020 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण में आगामी दिनांक 16-07-2020 अभिनिर्धारित करते हुए अप्रार्थीगणों को असालतन या वकालतन आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अन्य सहखातेदार अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के बजाय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त एकतरफा अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए विद्युत कनेक्शन स्थापित करने की हद तक अपीलाधीन आदेश में संशोधन की मांग की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम श्रेणी का आदेश है। जिस पर पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अपना विस्तृत निर्णय किया जाना शेष है। लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना अपीलांत को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। अपीलांत प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांत की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ़्तर हो।



राजस्व (प्रशासनिक) अधिकारी  
राजस्व (आपील) प्राधिकारी  
बीकानेर